



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241320
CG-DL-E-22122022-241320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5760]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 5760]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6001(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा-पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तालुका:सुइगाम, जिला बनासकांठा, राज्य गुजरात में बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री भरत जे. अकूवाला, अपर समाहर्ता (अवकाश प्राप्त) सक्षम प्राधिकारी, न्यू मुंद्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लोट नं. 346 एवं 347, वार्ड नं. 12 बी, गांधीधाम, जिला-कच्छ, गुजरात-370201 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
तालुका - सुइगाम		जिला-बनासकांठा	राज्य - गुजरात		
क्र. सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	सोनेथ	1108	00	00	84
		570	00	27	95
		571	00	01	14
		569	00	00	38
		573	00	24	79
		574	00	17	42
		567	00	11	27
		575	00	12	95
		576	00	22	31
		577	00	00	25
		1105	00	22	86
		588	00	00	21
		587	00	20	75
		1138	00	44	64
		557	00	39	60
		556	00	01	39
		1136	00	05	77
		1134	00	62	89
		555	00	22	61
		552	00	19	63
		551	00	00	84
		639	00	15	70
		550	00	04	33
		640	00	16	23
		641	00	29	30
		642	00	21	97
		643	00	00	20
		285	00	13	19
		284	00	33	85
		292	00	32	03
		294	00	12	10

सोनेथ	297	00	00	28
	296	00	09	62
	273	00	14	32
	269	00	15	72
	270	00	23	97
	161	00	16	97
	162	00	16	85
	163	00	03	29
	165	00	05	42
	166	00	30	19
	169	00	15	89
	170	00	30	51
	173	00	20	70
	174	00	41	97
	82	00	14	50
	81	00	06	61
	79	00	65	93
	71	00	10	83
	70	00	29	29
	68	00	02	67
	69	00	27	48

[फा. सं. आर -11017/5/2022-ओआर-1/ई-44402]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2022

S.O. 6001(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Crude Oil Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in Taluka Suigam of Banaskantha District in State of Gujarat.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Bharat J. Akruwala, Additional Collector (Retd.) Competent Authority, New Mundra Panipat Pipeline Project, Indian Oil Corporation Limited, Plot No. 346 & 347, Ward No. 12 B, Gandhidham, District Kutch, Gujarat – 370201.

SCHEDULE

Taluka:- Suigam		District:- Banaskantha	State :- Gujarat		
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Soneth	1108	00	00	84
		570	00	27	95
		571	00	01	14
		569	00	00	38
		573	00	24	79
		574	00	17	42
		567	00	11	27
		575	00	12	95
		576	00	22	31
		577	00	00	25
		1105	00	22	86
		588	00	00	21
		587	00	20	75
		1138	00	44	64
		557	00	39	60
		556	00	01	39
		1136	00	05	77
		1134	00	62	89
		555	00	22	61
		552	00	19	63
		551	00	00	84
		639	00	15	70
		550	00	04	33
		640	00	16	23
		641	00	29	30
		642	00	21	97
		643	00	00	20
		285	00	13	19
		284	00	33	85
		292	00	32	03
		294	00	12	10

Soneth	297	00	00	28
	296	00	09	62
	273	00	14	32
	269	00	15	72
	270	00	23	97
	161	00	16	97
	162	00	16	85
	163	00	03	29
	165	00	05	42
	166	00	30	19
	169	00	15	89
	170	00	30	51
	173	00	20	70
	174	00	41	97
	82	00	14	50
	81	00	06	61
	79	00	65	93
	71	00	10	83
	70	00	29	29
	68	00	02	67
	69	00	27	48

[F. No. R-11017/5/2022-OR- 1/E-44402]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.